भाकृअनुप
ICAR

ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES EDUCATION
(Deemed University) (University under Sec. 3 of UGC Act),
Indian Council of Agricultural Research
Panch Marg, Off. Yari Road, Versova, Andheri (west), Mumbai 400 061
Tel. No. 022-26361446/7/8 Web Site : https://www.cife.edu.in
GST No.27AAAAI1830P9ZB

F. No. 36-35/25-26/MiscAdavnce Dated 31st August, 2026

CIRCULAR

Subject: Submission of Purchase Proposals only against Adequate Budgetary Provision – reg.

It has been observed that, in certain cases, purchase proposals/programmes are initiated without ensuring the availability of adequate budgetary provision, resulting in avoidable processing at various levels and involvement of the Institute authorities and concerned sections.

In order to ensure proper financial discipline, efficient utilization of funds and smooth processing of procurement proposals, all Principal Investigators (PIs), Officers-in-Charge (OICs) and Heads of Divisions (HoDs) are hereby advised/instructed to ensure the following before initiating any purchase proposal or programme involving expenditure:

1. **Proposals shall be initiated only after ensuring availability of adequate funds under the relevant budget/project head.**
2. **The budget head/fund source and available amount shall invariably be indicated in the indent/proposal.**
3. **The total expenditure shall not exceed the sanctioned/approved amount. Expenditure under individual heads/components shall also be within the approved provision.**
4. **Any re-appropriation/adjustment between budget heads or components, including adjustment against honorarium or other approved components, wherever required, shall be made only with the prior approval of the Competent Authority/sponsoring agency, as applicable.**
5. **Honorarium to Resource Persons/Experts and other programme-related payments shall be proposed and incurred only within the approved/sanctioned provision and as per the applicable rules and terms of the funding agency. Any variation or adjustment involving the honorarium component shall require prior approval of the Competent Authority/sponsoring agency, as applicable.**
6. **For externally funded programmes, the concerned PI/OIC shall ensure that the proposed expenditure is admissible as per the approved budget and terms of the funding agency, and that adequate funds have been received/are available.**

All concerned are requested to strictly adhere to the above instructions to avoid initiation of unfunded proposals, expenditure beyond approved allocations and difficulties in settlement of bills/advances and honorarium payments.

This issues with the approval of the Director.

Satyendra Kumar
Sr. Administrative Officer (Pur.)

Distribution:

1. Director Cell & Joint Director Cell, ICAR-CIFE, Mumbai.
2. Joint Director (Admn.) / CF&AO, ICAR-CIFE, Mumbai.
3. All Heads of Divisions / In-charges of Sections / Cells, ICAR-CIFE, Mumbai.
4. Officer-in-Charge, all Regional Stations of ICAR-CIFE.
5. All Principal Investigators (PIs) of Externally Funded Projects, ICAR-CIFE, Mumbai and its Regional Stations.
6. SAOs / F&AO / AAOs / AF&AOs, ICAR-CIFE, Mumbai.
7. Store / Cash / Audit Sections, ICAR-CIFE, Mumbai.
8. staff.all@cife.edu.in
9. SIC, ICT Cell, ICAR-CIFE, Mumbai – for uploading the Circular on the Institute website.
10. webmaster@cife.edu.in
11. Guard File.

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय) (यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
पंच मार्ग, ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई – 400 061
दूरभाष : 022-26361446/7/8 वेबसाइट : https://www.cife.edu.in
जीएसटी संख्या : 27AAAAI1830P9ZB

फाइल सं.: 36-35/25-26/MiscAdavnce **दिनांक: 31 अगस्त, 2026**

परिपत्र

विषय: पर्याप्त बजटीय प्रावधान के विरुद्ध ही क्रय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

यह देखा गया है कि कुछ मामलों में पर्याप्त बजटीय प्रावधान की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना क्रय प्रस्ताव/कार्यक्रम प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों पर अनावश्यक प्रक्रिया एवं संस्थान के अधिकारियों तथा संबंधित अनुभागों की अनावश्यक संलिप्तता होती है।

उचित वित्तीय अनुशासन, निधियों के कुशल उपयोग तथा क्रय प्रस्तावों के सुचारू प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रधान अन्वेषकों (PIs), प्रभारी अधिकारियों (OICs) तथा प्रभागाध्यक्षों (HoDs) को किसी भी क्रय प्रस्ताव अथवा व्यय से संबंधित कार्यक्रम प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित सुनिश्चित करने की सलाह/निर्देश दिए जाते हैं:

1. **प्रस्ताव केवल संबंधित बजट/परियोजना मद के अंतर्गत पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात ही प्रस्तुत किए जाएं।**
2. **बजट मद/निधि के स्रोत तथा उपलब्ध राशि का उल्लेख अनिवार्य रूप से इंडेंट/प्रस्ताव में किया जाए।**
3. **कुल व्यय स्वीकृत/अनुमोदित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत मदों/घटकों के अंतर्गत व्यय भी अनुमोदित प्रावधान के भीतर ही होना चाहिए।**
4. **जहां आवश्यक हो, बजट मदों अथवा घटकों के बीच किसी भी पुनर्विनियोजन/समायोजन, जिसमें मानदेय अथवा अन्य अनुमोदित घटकों के विरुद्ध समायोजन भी शामिल है, केवल सक्षम प्राधिकारी/प्रायोजक एजेंसी की, जैसा लागू हो, पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही किया जाए।**
5. **संसाधन व्यक्तियों/विशेषज्ञों को मानदेय तथा कार्यक्रम से संबंधित अन्य भुगतान केवल स्वीकृत/अनुमोदित प्रावधान के भीतर तथा लागू नियमों एवं वित्त पोषण एजेंसी की शर्तों के अनुसार ही प्रस्तावित एवं किए जाएं। मानदेय मद से संबंधित किसी भी प्रकार के विचलन अथवा समायोजन के लिए, जैसा लागू हो, सक्षम प्राधिकारी/प्रायोजक एजेंसी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।**
6. **बाह्य वित्त पोषित कार्यक्रमों के संबंध में संबंधित PI/OIC यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित व्यय स्वीकृत बजट एवं वित्त पोषण एजेंसी की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य हो तथा पर्याप्त निधि प्राप्त/उपलब्ध हो।**

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, ताकि बिना निधि के प्रस्ताव प्रस्तुत करने, स्वीकृत आवंटन से अधिक व्यय करने तथा बिलों/अग्रिमों एवं मानदेय के निपटान में होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके।

यह निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सत्येन्द्र कुमार
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (क्रय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक प्रकोष्ठ एवं संयुक्त निदेशक प्रकोष्ठ, आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी (CF&AO), आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई।
3. सभी प्रभागाध्यक्ष / अनुभागों / प्रकोष्ठों के प्रभारी, आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई।
4. प्रभारी अधिकारी, सभी क्षेत्रीय केन्द्र, आईसीएआर-सीआईएफई।
5. सभी बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रधान अन्वेषक (PIs), आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई एवं इसके क्षेत्रीय केन्द्र।
6. व.प्र.अ. / वि.ले.अ. / स.प्र.अ. / स.वि.ले.अ., आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई।
7. भंडार / रोकड़ / लेखा-परीक्षा अनुभाग, आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई।
8. staff.all@cife.edu.in
9. प्रभारी वैज्ञानिक, सू. एवं सं. प्रौ. प्रकोष्ठ (SIC-ICT Cell), आईसीएआर-सीआईएफई, मुंबई – संस्थान की वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने हेतु।
10. webmaster@cife.edu.in
11. गार्ड फाइल।